Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा -12

अध्याय - 6

भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास

भाग - 2

रामावतार यादव

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

नियोजन → भविष्य मे उद्देश्य के लिए वर्तमान में सोच-समझकर कार्य योजना बनाना नियोजन कहते हैं

नियोजन

- खण्डीय नियोजन
- प्रादेशिक नियोजन

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

SFDA

लघु किसान विकास संस्था।

- THE SMALL FARMERS DEVELOPMENT AGENCY

MAFALDA

सीमान्त किसान और कृषि श्रमिक विकास संस्था।

- MARGINAL FRAMERS AND AGRICULTURAL LABORERS DEVELOPMENT AGENCY

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

1. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- देश में 17% भू-भाग पहाड़ी क्षेत्र है तथा यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है।
- ऐसे क्षेत्र दो प्रकार के हैं।

(अ) वे जो सम्पूर्ण राज्य का निर्माण करते हैं। जैसे- पूर्वोत्तर के राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख

(ब) वे जो किसी राज्य के भाग हैं। जैसे- असम के कार्बी आंगलौंग एवं उत्तरी कछार जिले पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला

इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा एवं केरल में पाया जाता है।

पर्वतीय क्षेत्र -17%
जनसंख्या -11%

प्रादेशिक विकास

1. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

तमिलनाडु - निलगिरी की पहाड़ी

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- 1981 में पिछडे क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछडे पर्वतीय क्षेत्रों शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊँचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप-योजना लागू नहीं है।
- उक्त समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए निम्न सुझाव दिये-

1. सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं;
2. स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास;
3. जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश-उन्मुखी बनाना;

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

4. अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो;
5. पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुँचाना;
6. पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना।

पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएँ मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती है यही कारण है कि इनकी स्थलाकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र हेतु अलग विकास योजनाओं को बनाने की आवश्यकता है

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

उद्देश्य

- पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में बागवानी, कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी, मृदा संरक्षण एवं ग्रामीण उद्योग पर बल दिया गया है।
- पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर हिमालय क्षेत्र, जैव-विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ औषधीय पौधे, फलों, फूलों एवं वन्य जीवों की अनेक प्रजातियाँ पायी जाती है। अतएवं यहाँ की मूल्यवान पादप एवं प्राणि संपदा के संरक्षण एवं परिवर्धन हेतु जैव आरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और जीनकेन्द्रों को स्थापित करने की जरूरत है।

→ जैव मण्डल आरक्षित क्षेत्र।

→ राष्ट्रीय उद्यान

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

2. सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (DPAP)

- इसकी शुरूआत सन 1973 में की गयी थी
- इसका उद्देश्य भूमि, जल एवं पशु संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, पारिस्थितिक संतुलन का पुनर्स्थापन और लोगों विशेषकर कमजोर वर्गों की आय का स्थिरीकरण करना है।
- 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसके कार्यक्षेत्र को विस्तृत किया गया। प्रारंभ में केवल सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया था परन्तु उसके बाद में अनेक कार्यक्रम भी जोड़े गये जो निम्न है।

1. जल संसाधनों का विकास एव प्रबन्धन।
2. मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण उपाय।

सूखा सम्भावी कार्यक्रम → 1973-74

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

3. सामाजिक तथा कृषि वानिकी पर विशेष बल सहित वृक्षारोपण।
4. भेड़ पालन सहित चरागाह विकास एवं प्रबंधन।
5. पशुपालन एवं डेयरी विकास
6. शस्य प्रतिरूप की पुनर्रचना एवं कृषि-आर्थिक पद्धतियों में परिवर्तन।
7. सहायक व्यवसायों का विकास।

भारत में सूखा संभावी क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, कर्नाटक पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि आदि है।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

केस स्टडी व्यक्तिगत अध्ययन

3. भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम

क्षेत्र – हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर व होली तहसील

जनजाती – गद्दी जनजाती का निवास स्थान

भाषा – गद्दीयाली

विशेषता – हिमालय क्षेत्र में ऋतु प्रवास करते हैं।

जलवायु – कठोर जलवायु है।

संसाधन – आधारभूत संसाधन कम है।

जनसंख्या – 39,113 घनत्व 21 व्यक्ति/किमी.

21

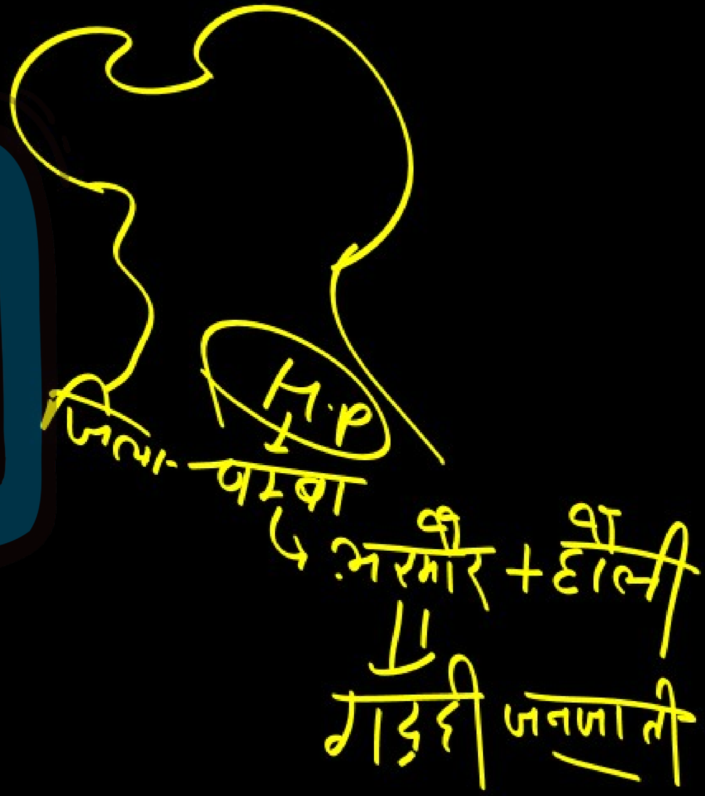

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- सामाजिक–आर्थिक विकास से वंचित है।
- इनका आर्थिक आधार मुख्यरूप से कृषि और इससे संबद्ध क्रियाएँ जैसे- भेड़ व बकरी पालन है।
- 1970 में गद्दी अनुसूचित जनजातियों में शामिल की गयी।
- 1974 में जनजातीय उप–योजना प्रारंभ हुई।
- उक्त योजना से परिवहन एवं संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के विकास को प्राथमिकता दी गयी।

आर्थिक आधार – (1) कृषि
(2) भेड़-बकरी पालन

गद्दी
↓
1970 → S.T

1974 → जनजातीय उप योजना
↓
परिवहन, संचार, कृषि

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- अब इस उपयोजना से विद्यालय, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास भी हो रहे हैं।
- इस उपयोजना के लागू होने से सामाजिक लाभ
  - साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि
  - लिंगानुपात में सुधार
  - बाल-विवाह में कमी
  - स्त्री साक्षरता 1.88% (1971) से बढ़कर 65% (2011) हो गयी
  - साक्षरता में लिंग असमानता कम हुई

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- जीवन निर्वाह कृषि व पशुचारण से बदलकर दाल व अन्य नगदी फसलों की खेती में बढ़ोत्तरी हुई।
- आज मात्र 10% गददी ही ऋतु-प्रवास करते हैं। अन्य कृषि और मजदूरी करने लग गये हैं।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

'विकास' शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किये गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है।

वृद्धि और विकास

वृद्धि – वर्तमान स्थिति से सकारात्मक मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं।

विकास – वर्तमान स्थिति से सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं।

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

सतत पोषणीय विकास की अवधारणा

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 60 के दशक के आरंभ तक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए भौतिक पूँजी में निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी।
- जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग के रूप में मापा गया।
- गरीबी का स्तर बढ़ गया क्योंकि असमान वितरण पाया गया।
- प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- 1960 से 1980 के मध्य जनसंख्या का विस्फोट
- गरीबी का विस्तार
- मानव पूँजी में निवेश
- कल्याण की अवधारणा जो बाद में मानव विकास के रूप में परिवर्तित हुआ। जिसमें रहने के स्तर, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, समान अवसर, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित थे।

भारत सर्वाधिक वृद्धि - 1961-1971
↓
छलांग दशक

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक 'द पोपुलेशन बम' तथा 1972 में मीडेस की पुस्तक 'द लिमिट टू ग्रोथ' ने इस ओर अपना ध्यान खींचा।
- 1980 के दशक में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का विकास हुआ जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थाना हुई। नार्वे की प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रंटलैंड को इसका अध्यक्ष बनाया। इसलिए इसे ब्रंटलैंड आयोग भी कहते हैं।

ब्रटलैंड → नार्वे P.m

गांधीजी →

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रस्तुत की।
- गाँधीजी ने अपनी पुस्तक 'द हिन्द स्वराज' में बताया कि वर्तमान सभ्यता को अंतहीन इच्छाओं और शैतानी सोच से प्रेरित बताया है। टिकाऊ विकास का केन्द्र बिन्दु समाज की मौलिक जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए। इस अर्थ में उनकी पुस्तक 'द हिन्द स्वराज' सतत पोषणीय विकास का घोषणा पत्र है।

Under CSR Support by ipca | Foundation
missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

उनके अनुसार पृथ्वी से मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है लेकिन लालच को नहीं।

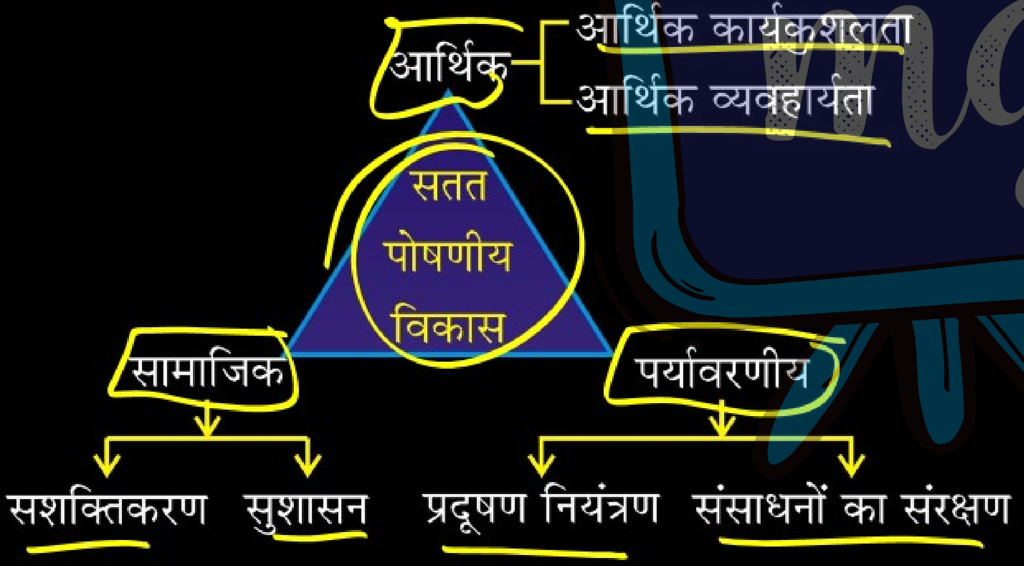

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दर उनके पुनः चक्रण की दर से कम होनी चाहिए। अतः नवीकरणीय संसाधनों के दोहन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- हानिकारक पदार्थ (प्रदूषक तत्व) के उत्सर्जन की दर पर्यावरण के स्वांगीकरण की दर से कम होनी चाहिए।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- जनसंख्याके वितरण को संतुलन तथा पश्चिमी राजस्थान में समृद्धि लाने और मानव व अन्य पशुओं को पलायन रोकने के लिए इन्दिरा गाँधी नहर का निर्माण तत्कालिन बीकानेर राज्य के इंजीनियर कँवरसेन ने भारत सरकार को 1948 में दिया
- गंगनहर (1927) की प्रेरणा से बनने वाली राजस्थान नहर का नाम 3 नवम्बर 1984 में स्व. इन्दिरा गाँधी के नाम पर रखा गया।
- इन्दिरा गाँधी नहर की उत्पत्ति हरिके बैराज से हुई है जो कि सतलज नदी पर एक बाँध है कपूरथला (पंजाब) में।

इन्दिरा गाँधी नहर
→ Er. कँवर सेन (बीकानेर)
→ लेख - बीकानेर राज्य के लिये पानी की आवश्यकता।"

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

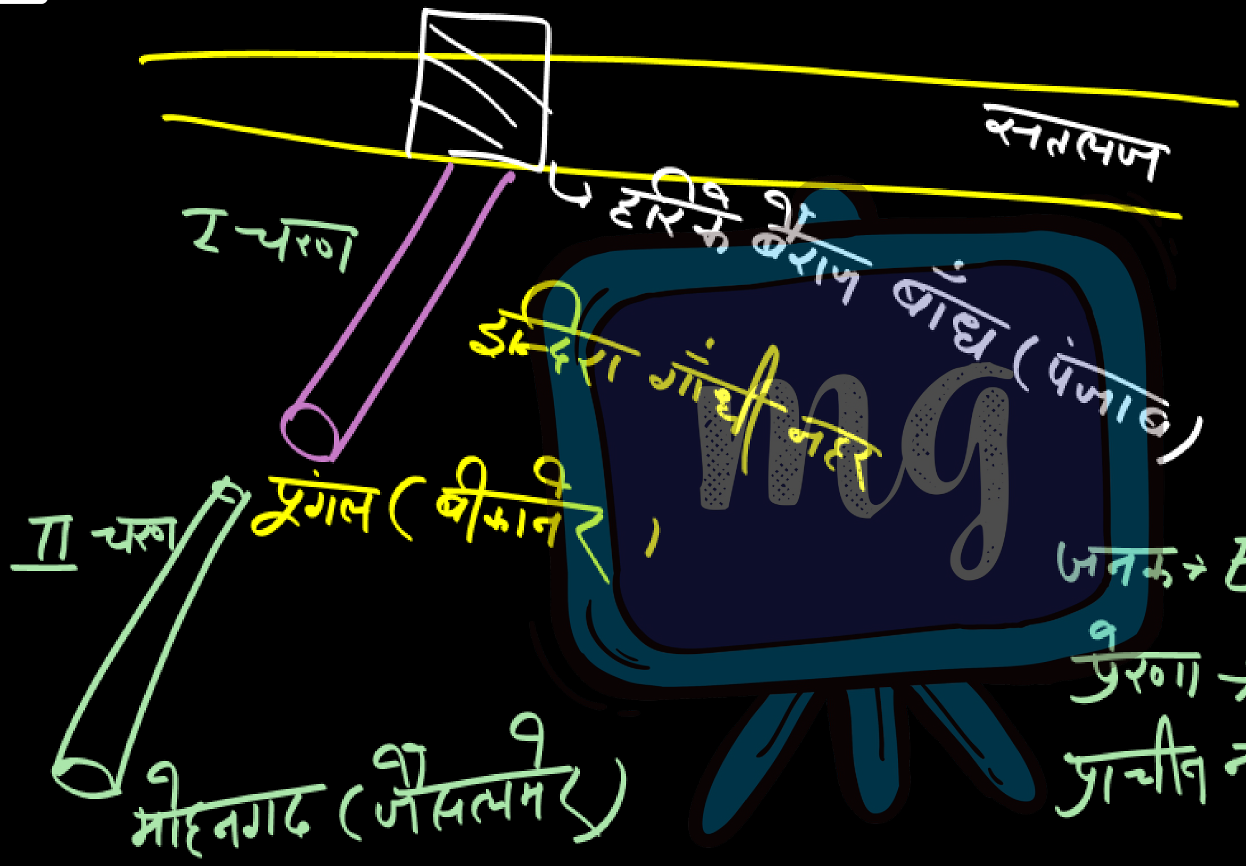

राजस्थान की प्रथम नहर
↳ गंग नहर

जनक → Er. कँवर

प्रेरणा → गंग नहर

प्राचीन नाम – राजस्थान नहर

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को धन की कमी के कारण दो चरणों में विभक्त किया है।

प्रथम चरण – 1958 से 1986

- हरिके बैराज का निर्माण
- राजस्थान फीडर का निर्माण जो कि 204 किमी. राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में स्थित है।
- मसीतावली हैड से पूगल (बीकानेर) तक मुख्य नहर 189 किमी., कँवरसेन लिफ्ट नहर एवं 3454 किमी. लम्बी वितरिकाओं का निर्माण किया गया
- हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर सिंचाई प्राप्त कर रहे हैं।

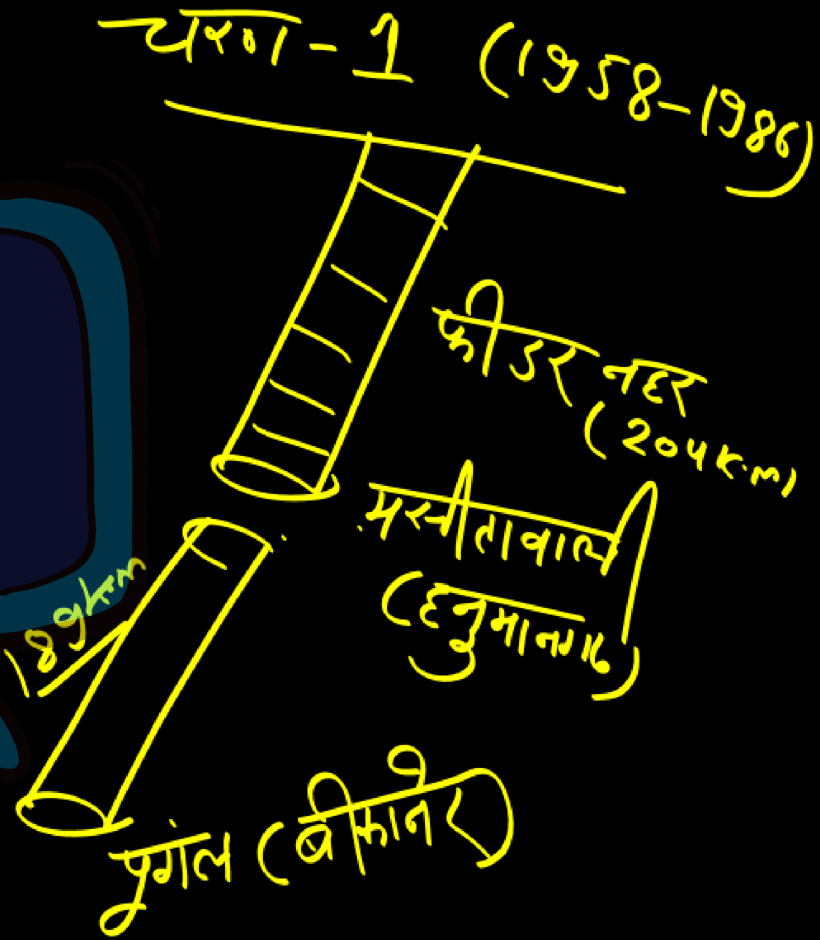

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

द्वितीय चरण – 1992–2010

पूंगल से मोहनगढ़ 256 किमी. मुख्य नहर 6 लिफ्ट नहर एवं 5606 किमी. लम्बी वितरिकाओं का निर्माण किया।

बीकानेर व जैसलमेर में सिंचाई व्यवस्था

1992-2010

IGNP नहर कुल → 7

चरण – 2

चरण → 1958-1986 → (A) हरिके बैराज से मसीतावाली 204

(B) मसीतावाली से पूंगल 189

चरण-2 1992-2010

पूंगल से मोहनगढ़ 256 km

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

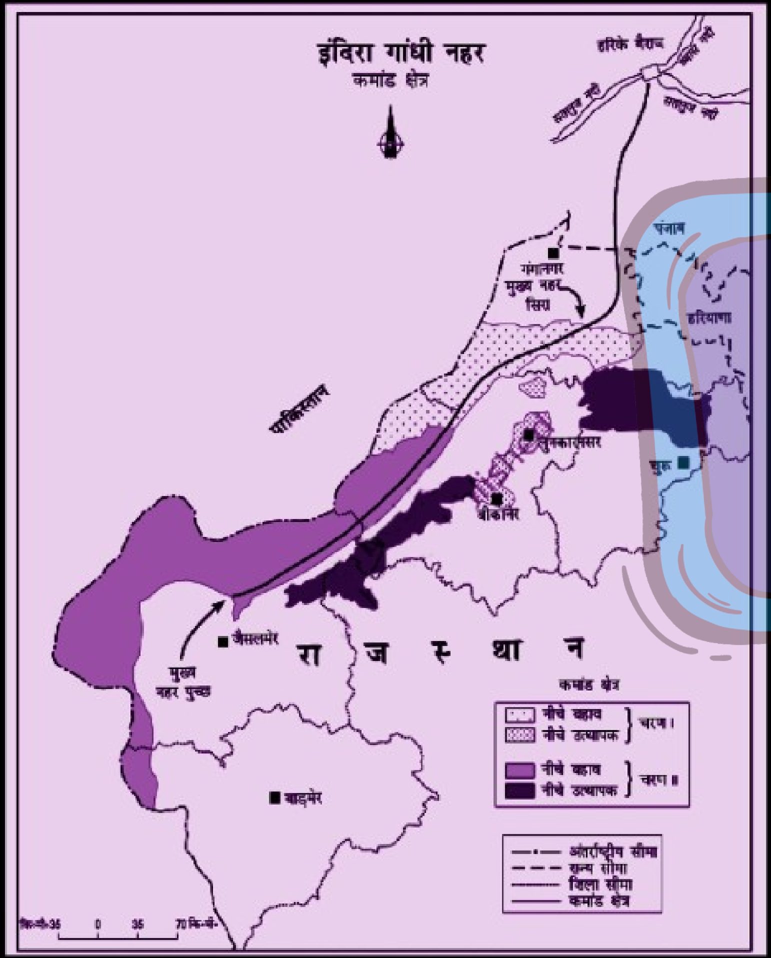

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

पेयजल- इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना से राज्य के नौ जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुँझुनूँ, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर को पेयजल मिलेगा। इस हेतु तीन पेयजल परियोजनाएँ बनाई गई हैं-

1. कँवरसेन लिफ्ट परियोजना (बीकानेर नगर की जीवन रेखा)- बीकानेर नगर तथा बीकानेर एवं श्रीगंगानगर जिले के गाँवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु।
2. राजीव गाँधी लिफ्ट परियोजना (जोधपुर नगर की जीवन रेखा)- जोधपुर नगर तथा जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों के 275 गाँवों के पेयजल हेतु।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

3. गंधेली- साहवा परियोजना (आपणी योजना)- जर्मनी के सहयोग से चूरू, हनुमानगढ़ एवं झुँझुनूँ जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु।

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- इससे इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपान्तरित कर दिया है।

पारिस्थितिकी क्षेत्र

- अधिक समय तक मृदा नमी उपलब्ध होने और कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किये गये वनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रमों में भूमि हरी-भरी हो गई है।
- वायु अपरदन कम हो रहा है।
- परन्तु जल भराव व मृदा लवणता की पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो रही है।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

कृषीय क्षेत्र

- कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलतापूर्वक कार्य किये जा रहे हैं।
- सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोये गये क्षेत्र में विस्तार हुआ है और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है।
- यहाँ की पारंपरिक फसलों, चना, बाजरा, ग्वार का स्थान गेहूँ, कपास, मूँगफली और चावल ने ले लिया है जो कि सघन सिंचाई का परिणाम है।

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय

पिछले चार दशकों में जिस प्रकार से इन्दिरा गाँधी नहर कमान क्षेत्र में विकास हुआ है, उससे वहाँ के भौतिक पर्यावरण को काफी क्षति पहुँची है। वस्तुतः नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रमुख रूप से पारिस्थितिकी विकास को महत्व प्रदान करना आवश्यक है। इस हेतु निम्नलिखित सात उपायों को कार्यान्वित करना आवश्यक है.-

1. **जल प्रबन्धन नीति**–कमान क्षेत्र के सतत् पोषणीय विकास के लिए जल प्रबन्धन नीति को कठोरता से क्रियान्वित करना अति आवश्यक है। इसके लिए परियोजना के प्रथम चरण में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई तथा दूसरे चरण में फसल उगाने व चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान रखा गया है।
2. **जल सघन फसलों पर प्रतिबन्ध**– कमान क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतया जल सघन फसलों के बोने पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। इसके स्थान पर बागाती कृषि के अन्तर्गत खट्टे फलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।